रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 100] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 2, 1994/फाल्गुन 11, 1915
No. 100] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 2, 1994/PHALGUNA 11, 1915

केन्द्रीय सचिवालय ग्रन्थालय
CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1994

सा. का. नि. 291(अ):—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा. का. नि. सं. 785 (अ), तारीख 27 दिसम्बर, 1993 द्वारा प्रकाशित वित्त मंत्रालय (राजस्व) की अधिसूचना सं. 189—सीमाशुल्क/93, तारीख 27 दिसम्बर, 1993 में,—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, अधिसूचना सं. 13—सीमाशुल्क/81, तारीख 9 फरवरी, 1981 के संशोधन से संबंधित क्रम सं. 2 के सामने, स्तंभ (3) के पैरा (ग) में,—

(i) पंक्ति 1 में, पैरा "2" के स्थान पर" पैरा "3" पढ़ें ;

(ii) पंक्ति 3 में, "3" के स्थान पर "4" पढ़ें ।

[फा. सं. 315/19/93—एफ. टी. टी. (पी. टी.)]

तिलक राज कपूर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 2nd March, 1994

CORRIGENDUM

G.S.R. 291(E).—In the Ministry of Finance (Department of Revenue) notification No. 189-Customs|93, dated the 27th December, 1993, published vide No. G.S.R. 785(E), dated the 27th December, 1993, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II. Section 3, Sub-section (i) —

In the Table annexed to the said notification, against S. No. 2 relating to amendment of notification No. 13-Cus|81, dated the 9th February, 1981, in column (3), in para (c) —

(i) in line 1, for "2" read "3";

(ii) in line 4, for "3", read "4".

[F. No. 315|18|93-FTT(Pt.)]

T. R. KAPUR, Under Secy

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994